

1116



#1389

न्यायलय उपखण्ड अधिकारी पदेन सहायक कलेक्टर, कपासन जिला - चित्तौड़गढ़ (राज.)

(पीठासीन अधिकारी, ग्रामीण सेवा शिविर 2025 कैम्प स्थल - बुकिंग प्लॉट)

धारा अन्तर्गत - 136

प्र.सं. 37

दायर दिनांक

10/10/2025

निर्णय दिनांक

10/10/25

क्र.सं.	नाम- ग्राम	खान	रिपोर्ट	कार्यलय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर कपासन आदेश
1	लाखा का खेड़ा	70	महोदय जी, निवेदन है कि मुताबिक बैंक आदेश क्रमांक/2025-26/113 दिनांक 28.09.2023 एवं गजट नोटिफिकेशन दिनांक 07.04.2025 की पालना बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक का नाम बदलकर राजस्थान ग्रामीण बैंक किया जाना उचित है। मूल ही पत्रावली श्रीमान उपखण्ड अधिकारी महोदय कपासन को प्रेषित है।	तहसालीदार कपासन की अनुशंसा स्वीकार की जाकर राज.भू.रा.अधि.1956 की धारा-136 के अध्यायीन अनुसार राजस्व रेकार्ड में ग्राम खेड़ा प.ड. खेड़ा खातासं 70 में वर्तमान प्रविष्ट बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक को शुद्ध किया जाकर राजस्थान ग्रामीण बैंक राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किये जाने का आदेश दिया जाता है।
			वर्तमान प्रविष्टी रौशनलाल पुत्र शंकरलाल जाट सा. देह खेतदार रहन बड़ौदा राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा Dhamana	शुद्ध प्रविष्टी रौशनलाल पुत्र शंकरलाल जाट सा. देह खेतदार रहन राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा Dhamana
		हस्ताक्षर पटवारी	हस्ताक्षर गिरदावर	हस्ताक्षर व मोहर तहसीलदार
		तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़(राज.)		तहसीलदार (मू.अ.) तहसील कपासन जिला-चित्तौड़गढ़
				पदेन सहायक कलेक्टर कपासन सहायक कलेक्टर (उपखण्ड अधिकारी) कपासन जिला-चित्तौड़गढ़